

नोएडा शिल्प हाट में 25 से 27 मार्च तक होगा भव्य आयोजन, तैयारियों का लिया जायजा

नोएडा (चेतना मंच)। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के केंद्र सरकार के 10 वर्ष तथा प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी 25 से 27 मार्च 2025 तक नोएडा शिल्प हाट सेक्टर 33 ए में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

शासन की उपलब्धियों, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों, जनकल्याण की योजनाओं तथा पर्यावरणीयों के संबंध में जामनामास को अधिक से अधिक जामनामास की उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेहमान को जननपद गौतम बुद्ध नगर का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

प्रमुख सचिव मुकेश मेहमान ने आज नोएडा शिल्प हाट सेक्टर 33 ए नोएडा में पहुंचकर जिला प्रशासन, प्राधिकरण एवं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए तैयारियों की समीक्षा की, जिसके जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मण्डल कर्मा, मुख्य विकास अधिकारी विद्यानाथ शुक्ल, अपर पुलिस आयुक्त राजेव कुमार, अपर जिलाधिकारी वित एवं राजेव अतुल कुमार, अपर जिला अधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे तथा संबंधित विभागों के



अधिकारी गण उपस्थित रहे।

प्रमुख सचिव ने आयोजित बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह महावाक्यांक्षी कार्यक्रम है इसलिए अधिकारीयों ने अपनी विभागों के कार्यक्रमों को अद्वितीय बनाया है। अपर जिलाधिकारी वित एवं राजेव अतुल कुमार, अपर जिला अधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे तथा संबंधित विभागों के

तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करें तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निश्चा के साथ करें। शासन के द्वारा जारी दिया गया निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया किया जाये।

प्रमुख सचिव ने इस दौरान शिल्प हाट सेक्टर 33 ए नोएडा का स्थलीय निरीक्षण करसर न छोड़े। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी युद्ध स्तर पर अपनी-अपनी

प्राधिकरण एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि यह तीन दिवसीय कार्यक्रम है इसमें बहुतायत की संख्या में आम जनमानास का आयाम होगा। इसलिए यहां पर पारिंग एवं आम जनमानास के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रहे इस पर विशेष फोकस रखा जाए।

एमिटी विवि में विश्व कविता दिवस पर 'काव्य संध्या' का आयोजन

नोएडा (चेतना मंच)। विश्व कविता दिवस पर छात्रों को संस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने और अपने भावों को व्यक्त करने में कविता के महत्व को बताते के लिए एमिटी विश्वविद्यालय के एमिटी बिजिनेस स्कूल द्वारा आयोजित 10वें ग्लोबल लीडरशिप रिसर्च सम्मेलन "जीएलआरसी 2025" के तात्परान में "काव्य संध्या" का आयोजन किया गया।

काव्य संध्या में कवि दिवेश रखवांशी, डा. श्रद्धा निकुञ्ज भाद्राज 'अश्क', डा. दीपक शर्मा, रामकिशोर उपाध्याय, डा. जगयोगी रोय, डा. विवेक गौतम और डॉ. मधु मोहनी उपाध्याय ने अपनी रचनाये प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तबल कर ली।

प्राधिकरण की अपर मुख्य

कार्यपालक अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी वी. एस. ने बताया कि पांचों अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की संस्कृति शासन से की गई है। सूत्रों के अनुसार, के. डॉ. मणी, प्रवीण सलोनिया और श्रीपाल को निलंबित कर दिया गया है। प्रवीण सलोनिया फिलहाल नोएडा प्राधिकरण में नियुक्त हैं।

काव्य संध्या का प्रारंभ मंच



और बालिकाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने "पुरानी सोच को पौछे छाड़ आगे बढ़ाना है कविता पाठ किया जिसे सभी द्वारा सराहा गया। इसके उपरांत डा. श्रद्धा निकुञ्ज भाद्राज 'अश्क', ने काव्य पाठ करते हुए प्रेम गीत हर दिल का अफसाना' और सोच की सारी हड्डों को को तोड़ना जैसी प्रेरक कवितायें सुनाई। महिलाओं

मध्य के संचाल को प्रस्तुत किया। कवि दीपक शर्मा ने कविता के महत्व को कहा कि जीवन में कविताये के कविता के माध्यम ही नहीं बल्कि पंसरा को संस्कृत भी करती है। व्यापार और किसी भी तकत से अधिक उजावा नहीं होती है कविताओं जो व्यक्तियों के मन को झकझोर कर उह सही मार्ग पर ले आती है। एमिटी में इस काव्य संध्या के जरूरी हमारा उद्देश्य कवियों और उनकी रचनाओं के प्रति आदर प्रकट करना है।

ग्रेनो प्राधिकरण में पांच अधिकारियों के निलंबन की संस्कृति, तीन निलंबित

नोएडा (चेतना मंच)। पतवाड़ी गांव में बिना भूमि अधिग्रहण किए भूखंड आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन की आयोजित प्रशासन के निलंबित करने की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तकाल प्रधान से की है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पतवाड़ी गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन की आयोजित प्रशासन के निलंबित करने की है।

पांच

अधिकारियों को अद्वितीय बैठक की संस्कृति शासन के निलंबित करने की है।

प्राधिकरण की अपर मुख्य

कार्यपालक अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी वी. एस. ने बताया कि पांचों अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की संस्कृति शासन से की गई है। सूत्रों के अनुसार, के. डॉ. मणी, प्रवीण सलोनिया और श्रीपाल को निलंबित कर दिया गया है। प्रवीण सलोनिया फिलहाल नोएडा प्राधिकरण में नियुक्त हैं।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के अनुसार, पुलिस ने खाली गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन की आयोजित प्रशासन के निलंबित करने की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तकाल प्रधान के निलंबित करने की है।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के अनुसार, पुलिस ने खाली गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन के निलंबित करने की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तकाल प्रधान के निलंबित करने की है।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के अनुसार, पुलिस ने खाली गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन की आयोजित प्रशासन के निलंबित करने की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तकाल प्रधान के निलंबित करने की है।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के अनुसार, पुलिस ने खाली गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन के निलंबित करने की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तकाल प्रधान के निलंबित करने की है।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के अनुसार, पुलिस ने खाली गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन की आयोजित प्रशासन के निलंबित करने की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तकाल प्रधान के निलंबित करने की है।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के अनुसार, पुलिस ने खाली गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन के निलंबित करने की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तकाल प्रधान के निलंबित करने की है।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के अनुसार, पुलिस ने खाली गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन की आयोजित प्रशासन के निलंबित करने की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तकाल प्रधान के निलंबित करने की है।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के अनुसार, पुलिस ने खाली गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्कृति शासन की आयोजित प्रशासन के निलंबित करने की है। इनमें